राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

सभी के लिए सभी मानवाधिकार
ALL HUMAN RIGHTS FOR ALL

विद्यया ऽ मृतमश्नुते
एन.सी.ई.आर.टी
NCERT

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL
RESEARCH AND TRAINING

No. F.37-1/SSA-QMT/YK/DEE/2014-15 /2281

**Department of Elementary Education**

Dated: October 21, 2014

**Dr. Manju Jain**
*Professor & Head*

**Subject: Feedback on the Report of Monitoring Data received from Office of the State Project Director, Bihar - regarding**

Dear Sh. Singh,

This has reference to your letter no. EFE/99/13-14/3781 dated 16-06-2014 regarding the report on Quality Monitoring Tools. We appreciate the efforts of various educational functionaries at different levels and officials of the SPO for implementing the QMTs in the State. After analysis of the data sent by the state, some observations have been made which are enclosed for your kind perusal and necessary action.

With kind regards,

Yours sincerely

Manju Jain
(Manju Jain)

**Shri Rahul Singh, IAS**
State Project Director
Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtbhasha Parishad Campus,
Rajendra Nagar, Saidpur
Patna 800004
BIHAR

## बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् से प्राप्त मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर प्रतिपुष्टि से संबंधित

बिहार राज्य से प्राप्त विद्यालय अनुश्रवण प्रपत्र से ज्ञात होता है कि राज्य अनुश्रवण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा प्रेषित QMTs के स्थान पर अन्य प्रपत्र का प्रयोग कर रहा है। राज्य से प्राप्त प्रपत्र से यह मालूम नहीं हो पा रहा कि यह केवल आंकड़े एकत्र करने का माध्यम है या इसके आधार पर विद्यालय व अन्य स्तारों पर प्रतिपुष्टि (Feedback) भी दी जाती है। राज्य को जुलाई 01, 2013 के पत्र के साथ एन.सी.ई.आर.टी के QMTs भेजे गये थे। यदि राज्य उचित समझे तो उनका प्रयोग किया जा सकता है या उनके अवश्यक बिन्दुओं को अपने प्रपत्र में शमिल किया जा सकता हैं।

QMTs के अन्तर्गत 7 प्रपत्र हैं जिनका उपयोग विद्यालय, संकुल (Cluster), विकासखण्ड (Block), जनपद (District) एवं राज्य स्तर (State) पर किया जाता है। विद्यालय स्तर से निर्धारित प्रपत्र पर सूचनाओं को संकलित कर संकुल स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है तथा संकुल स्तर से उनका विश्लेषण कर विद्यालय को आवश्यक सुझाव दिऐ जाते हैं। यह प्रक्रिया अन्य स्तरों पर भी जारी रहती है। यह एक प्रक्रिया आधारित अनुश्रवण है जिसका उद्देश्य प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शैक्षणिक प्रक्रिया में सुधार करना है न कि केवल आंकड़ो का संकलन करना।

प्राप्त अनुश्रण प्रपत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा हैं कि राज्य में गुणवत्ता अनुश्रवण की प्रक्रिया का कैसा स्वरूप है तथा इसकी आवृत्ति क्या है। क्या एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार की गई QMTs की भांति ही राज्य में भी अनुश्रवण के पश्चात् विभिन्न स्तरों पर सुधार हेतु उपयुक्त प्रतिपुष्टि दी जाती है? शिक्षा परियोजना परिषद् से यह अनुरोध है कि राज्य द्वारा निर्मित गुणवत्ता अनुश्रवण प्रपत्र, कक्षा अवलोकन पत्र और उसके साथ बने निर्देशों की एक प्रति एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

राज्य द्वारा भेजें गए विद्यालय अनुश्रवण प्रपत्र से यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि अनुश्रवण किए गए विद्यालय कुल विद्यालयों के कितने प्रतिशत है। कक्षा संचालन के विषय में जो जानकारी प्रदान की गई है उस संबंध में जिन कक्षाओं में पढ़ाई नही हो रही थी उन पर - संकुल (क्लस्टर), विकासखण्ड (ब्लाक), जिला और राज्य स्तर से किस प्रकार की प्रतिपुष्टि दी गई, सुधार के लिए क्या आवश्यक उपाय सुझाए गए आदि। उपस्थिति के आँकड़े यह भी दर्शाते हैं कि बच्चों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं है। इस विषय पर विभिन्न स्तरों में गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। कई विद्यालयों में कक्षा का संचालन समय तालिका के अनुसार नहीं

हो पा रहा हैं। ऐसी स्थिति में पठन-पाठन का कार्य बाधित होना स्वाभाविक है। इस स्थिति में संकुल समन्वयक से यह अपेक्षित है कि वे पाठ्यक्रम को समयबद्ध सीमा पर पूर्ण करने के लिए विद्यालयों में समय तालिका की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। इसी प्रकार से कई विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों की कमी की जानकारी दी गई है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु जो भी प्रयास किये जा रहे हैं उनमें सभी संबंधित लोगों की सहभागिता अत्यंत जरूरी है। इसी संदर्भ में राज्य से अनुरोध है कि भविष्य में भी गुणवत्ता अनुश्रवण प्रपत्र को एन.सी.ई.आर.टी को नियमित रूप से भेजें।